भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 126

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

मानवाधिकारों का हनन

126. श्री पंकज चौधरीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानवाधिकार हनन के कई ममले सूचित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों की संख्या राज्य-वार कितनी है और दोषियों के खिलाफ राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का मानवाधिकार-हनन के संदर्भ में पुलिस के अत्याचार और अपराधियों के साथ मुठभेड़ के मामलों को विदेशी पर्यटकों और अपराधियों के संबंध में अलग-अलग वर्गीकृत करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) मानवाधिकारों के हनन को रोकने और इनके प्रभावी संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): जी, हां। वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (31.01.2015 तक) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज किए गए मानवाधिकार के कथित उल्लंघनों की शिकायतों की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-। में दी गई है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.01.2015 तक) के दौरान, पूर्व के वर्षों के आगे लाए गए उन मामलों सहित, जिनमें मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में वित्तीय राहत की सिफारिश की गई थी, मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शा ने वाला एक विवरण अनुलग्नक- ।। में संलग्न है। उक्त अवधि के दौरान , आयोग ने दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध 90 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई और 3 मामलों में अभियोजन चलाए जाने की सिफारिश की।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानवाधिकार के कथित उल्लंघन से संबंधित मामलों की विवेचना एवं जांच के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। मामले दर्ज करते समय आयोग, पुलिस की ज्यादतियों, मुठभेड़ में मृत्यु और फर्जी मुठभेड़ में कथित मृत्यु के बारे में शिकायत सहित विभिन्न शीर्षों के अधीन मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों का वर्गीकरण कर ता है। तथापि, विदेशी आंतकवादियों और अपराधियों के रिकॉर्ड अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसुची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है और मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों सहित मामलों की जांच में पारदर्शिता लाने के लिए विधायन, नियम एवं विनियम आदि तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, एनएचआरसी ने सभी राज्य सरकारों को पुलिस कार्रवाई के दौरान मृत्यु के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें त्वरित मजिस्ट्रेट जांच और पुलिस कार्रवाई में होने वाली मौत की घटना के 48 घंटों के भीतर उसकी सूचना एनएचआरसी को देना आदि शामिल है।

विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कैम्प बैठकों के दौरान , आयोग मानवाधिकार की बेहतर सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुग्राही बनाने के प्रयास करता है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 24.02.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत, निपटाये गये और लंबित मामलों की राज्य-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रसं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	01/04/2011 से 31/03/2012			01/04/2012 से 31/03/2013			01/04/2013 से 31/03/2014			01/04/2014 से 31/01/2015		
		पंजीकृत	निपटाये गए	लंबित	पंजीकृत	निपटाये गए	लंबित	पंजीकृत	निपटाये गए	लंबित	पंजीकृत	निपटाये गए	लंबित
1	आंध्र प्रदेश	838	801	37	876	809	67	931	657	274	899	676	223
2	अरुणाचल प्रदेश	31	28	3	39	32	7	48	25	23	154	67	87
3	असम	385	270	115	473	351	122	407	277	130	551	295	256
4	बिहार	3303	3204	99	4752	4575	177	4362	3820	542	3775	2883	892
5	गोवा	86	84	2	62	59	3	55	52	3	42	32	10
6	गुजरात	1108	1061	47	2041	1956	85	1585	1417	168	1283	969	314
7	हरियाणा	4175	4082	93	9440	9223	217	10297	9811	486	12262	10989	1273
8	हिमाचल प्रदेश	180	178	2	300	288	12	256	201	55	248	154	94
9	जम्मू और कश्मीर	371	273	98	411	393	18	389	319	70	328	228	100
10	कर्नाटक	1319	1299	20	908	867	41	698	631	67	980	687	293
11	केरल	563	549	14	947	362	585	583	498	85	474	329	145
12	मध्य प्रदेश	2700	2636	64	2649	2480	169	2392	2099	293	3144	2429	715
13	महाराष्ट्र	2385	2315	70	4487	4243	244	3164	2837	327	2446	1961	485
14	मणिपुर	162	123	39	110	74	36	93	52	41	106	65	41
15	मेघालय	50	43	7	48	31	17	59	32	27	85	24	61
16	मिजोरम	18	15	3	20	18	2	19	8	11	15	10	5
17	नागालैंड	12	11	1	16	13	3	20	12	8	28	16	12
18	ओडिशा	3380	3194	186	5847	5478	369	5435	4554	881	4223	2865	1358
19	पंजाब	1271	1243	28	2397	2305	92	1908	1728	180	1566	1123	443
20	राजस्थान	2884	2825	59	3299	3174	125	2649	2229	420	2708	1887	821
21	सिक्किम	14	14	0	5	3	2	17	14	3	15	13	2
22	तमिलनाडु	1930	1877	53	3329	3204	125	2678	2430	248	1793	1560	233
23	त्रिपुरा	70	58	12	748	745	3	1040	1022	18	75	52	23
24	उत्तर प्रदेश	52216	51724	492	47769	46859	910	44800	40121	4679	43455	35643	7812
25	पश्चिम बंगाल	1614	1537	77	1848	1668	180	1465	1238	227	1625	1183	442
26	अंडमान एवं निकोबार	49	46	3	34	32	2	35	29	6	20	17	3
27	चंडीगढ़	212	205	7	238	228	10	165	140	25	181	144	37
28	दादरा एवं नगर हवेली	14	14	0	18	18	0	18	16	2	10	6	4
29	दमन एवं दीव	16	16	0	17	16	1	13	11	2	10	9	1
30	दिल्ली	7865	7716	149	8264	7961	303	7168	6385	783	7805	6586	1219
31	लक्षद्वीप	8	8	0	5	5	0	36	29	7	8	8	0
32	पुदुचेरी	76	70	6	77	69	8	75	53	22	71	54	17
33	छत्तीसगढ़	776	730	46	811	731	80	820	632	188	1014	682	332
34	झारखंड	1811	1719	92	1636	1520	116	1645	1420	225	1661	1239	422
35	उत्तराखंड	2022	2009	13	2370	2330	40	1857	1730	127	2227	1878	349
36	तेलंगाना	721	681	40	698	656	42	654	545	109	678	492	186
	कुल	94635	92658	1977	106989	102776	4213	97836	87074	10762	95965	77255	18710

अनुलग्नक-II

दिनांक 24.02.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.01.2015 तक) के दौरान पूर्व वर्षों से आगे लाए गए उन मामलों सहित जिनमें मानवाधिकार के उल्लंघन में आर्थिक राहत की सिफारिश की गई थी, मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या	राशि
1	अंडमान एवं निकोबार	1	300000
2	आंध्र प्रदेश	35	6540000
3	अरुणाचल प्रदेश	5	4175000
4	असम	76	39540000
5	बिहार	106	31321000
6	चंडीगढ़	8	990000
7	छत्तीसगढ़	43	15900000
8	दमन एवं दीव	1	100000
9	दिल्ली	91	17710000
10	गोवा	2	4185000
11	गुजरात	47	11575000
12	हरियाणा	58	20059000
13	हिमाचल प्रदेश	7	1850000
14	जम्मू एवं कश्मीर	8	3500000
15	झारखंड	79	28220000
16	कर्नाटक	24	4650000
17	केरल	22	4020000
18	मध्य प्रदेश	69	20677000
19	महाराष्ट्र	98	24760000
20	मणिपुर	32	18435000
21	मेघालय	10	3725000
22	मिजोरम	5	1600000
23	नागालैंड	2	200000
24	ओडिशा	43	13420000
25	पुदुचेरी	2	600000
26	पंजाब	22	7531172
27	राजस्थान	55	12515000
28	सिक्किम	2	400000
29	तमिलनाडु	41	8150000
30	तेलंगाना	31	4880000
31	त्रिपुरा	10	3050000
32	उत्तर प्रदेश	559	150322000
33	उत्तराखंड	36	13665000
34	पश्चिम बंगाल	50	12655000
	कुल	1675	491220172

****